न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री दिवांशु शर्मा (आर0ए0एस0)

प्र. सं. 48/19

दावा

बउनवान

अशोक पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी फतेहपुर तहसील, बारां

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,92,53,188RTA

उपस्थितः— 1. श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा एड0 वादी

निर्णय दिनांक :—10.03.2021

वादी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चांदपुरा खाता संख्या नया 95 पुराना 27 की आराजी कुल 11 किता कुल रकबा 3.89 व ग्राम चांदपुरा तहसील बारां के खाता संख्या नया 96 पुराना 95 की आराजी कुल 2 किता कुल रकबा 0.22 है0 व ग्राम फतेहपुर तहसील, बारां के खाता संख्या नया 716 पुराना 683 की कुल 10 किता कुल रकबा 3.29 है0 वादी के शामलाती खाते में स्थित है। खाता संख्या नया 95 पुराना 27 में वादी का नाम खेमराज पुत्र रामप्रसाद तथा खाता संख्या नया 96 पुराना 95 में वादी का खेमचन्द पुत्र रामप्रसाद तथा खाता संख्या नया 716 में वादी का नाम खेमचन्द्र पुत्र रामप्रसाद दर्ज है। वादी का नाम सभी सरकारी कागजात आधार कार्ड, पेनकार्ड, विद्यालय अध्ययन के प्रमाण पत्र आदि में अशोक कुमार पुत्र रामप्रसाद दर्ज है। उक्त खाता संख्याओं में वादी का नाम सहवन से खेमराज व खेमचन्द्र दर्ज हो गया है। जबकि वादी का नाम अशोक कुमार दर्ज होना चाहिये। वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी को सरकारी सहायता प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। अस्तु वादी खेमचन्द्र खेमराज के स्थान पर अपना वास्तविक नाम राजस्व रिकार्ड में अशोक दर्ज करवाने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है।

वाद पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार [illegible] ने [illegible] आशय का पेश किया कि ग्राम फतेहपुर जमाबंदी सम्बत 2072—75 खाता संख्या 716 किता 10/3.29 है0 भूमि में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

अशोक पुत्र श्री रामप्रसाद का नाम खेमचन्द पुत्र राप्रसाद हिस्सा 1/7 में दर्ज है तथा ग्राम चांदपुरा जमाबंदी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या 95 किता 11/3.89 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम खेमराज पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/7 में दर्ज है तथा इसी ग्राम में खाता संख्या 96 किता 2/0.22 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम खेमचन्द पुत्र श्री रामप्रसाद हिस्सा 1/8 में दर्ज है। प्रार्थी का नाम जमावन्दी राजस्व रेकार्ड में खेमराज व खेमचन्द दर्ज हो रहा है। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मार्कशीट आदि में अशोक पुत्र रामप्रसाद अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में खेमराज व खेमचन्द के स्थान पर अशोक किया जाना उचित बताया गया है।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने पीडब्ल्यु-1 अशोक कुमार, पीडब्ल्यु-2 हेमराज शर्मा एवं पीडब्ल्यु-3 शिवचरण गौत्तम के शपथ-पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमावन्दी प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श 3 पेश की है। छायाप्रति आधारकार्ड प्रदर्श 4ए , छायाप्रति मार्कशीट प्रदर्श 5ए, छायाप्रति पेनकार्ड प्रदर्श 6ए, जोब कार्ड छायाप्रति प्रदर्श 7ए, प्रस्तुत कर प्रदर्श कराई।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक वादी एवं पैरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी के शैक्षणिक व पहचान के दस्तावेजात में नाम अशोक तथा राजस्व रेकार्ड में नाम खेमराज व खेमचन्द अंकित होने से वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा कृषि कार्य हेतु ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पडता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अशोक दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी का नाम ज़मावन्दी राजस्व रेकार्ड में खेमराज व खेमचन्द दर्ज हो रहा है। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मार्कशीट आदि में अशोक पुत्र रामप्रसाद अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में खेमराज व खेमचन्द के स्थान पर अशोक किया जाना उचित बताया गया है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रथम दृष्ट्या नामान्तरण में त्रुटि हुई है। अतः वादी उस नामान्तरण की विधिवत अपील कर वांछित अनुतोष प्राप्त करें। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner